

समाहरणालय, जमुई

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

E-Mail—adss.jam.bih@gmail.com

दूरभाष नं०-8544428514

आदेश

अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 911/आ० नि० को० दिनांक 07.12.2018 के आलोक में डॉ शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना का जमुई जिला में दिनांक 09.01.2019 को दिव्यांगजन के हितार्थ आयोजित चलन्त न्यायालय (मोबाईल कोर्ट) व अन्य से संबंधित कार्यक्रम निम्न प्रकार है :-

क्र०	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1.	06.01.19	02:30 PM से।	इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि के साथ सम्वाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्ता। उपस्थिति :- जमुई जिला अंतर्गत सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि।	परिसदन, जमुई।	जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जमुई।
2.	07.01.18	10:00 AM से 01:00 PM तक।	जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) उपस्थिति :- 1. जिला पदाधिकारी, जमुई। 2. पुलिस अधीक्षक, जमुई। 3. उप विकास आयुक्त, जमुई। 4. अपर समाहर्ता, जमुई। 5. अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई। 6. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमुई जिला। 7. असैनिक शल्व चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई। 8. श्रम अधीक्षक, जमुई। 9. जिला सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी, जमुई। 10. जिला नियोजन पदाधिकारी, जमुई। 11. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल, जमुई। 12. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (सर्व शिक्षा अभियान) जमुई। 13. जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई। 14. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई। 15. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जमुई। 16. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमुई। 17. जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई। 18. जिला अभियंता, जिला परिषद, जमुई। 19. जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जमुई। 20. जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई। 21. जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, जमुई। 22. जिला खेल-कूद पदाधिकारी, जमुई। 23. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई। 24. कार्यपाक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई। 25. जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, जमुई। 26. निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई। 27. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई। 28. कारा अधीक्षक, जमुई। 29. जिला उप निर्वाचन, पदाधिकारी, जमुई। 30. भूमि सुधार उप समाहर्ता, जमुई। 31. प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, जमुई। 32. बाल संरक्षण पदाधिकारी, जमुई।	संवाद कक्ष, जमुई।	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जमुई।

			33. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जमुई। 34. जिला प्रबंधक, जिविका। 35. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, जमुई।		
3	07.01.19	01:00 PM से 02:00 PM तक।	पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक।	संवाद कक्ष, जमुई।	इस बैठक के आयोजन हेतु पुलिस अधीक्षक, जमुई अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही सभी संबंधित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।
4.	07.01.19	02:00 PM से 03:00 PM तक।	विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षण संस्थान के कुलपति एवं अन्य पदाकारियों के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई। 2. प्रधानाचार्य, के0 के0 एम0 कॉलेज, जमुई। 3. प्रधानाचार्य, एकलव्य कॉलेज, जमुई। 4. प्रधानाचार्य, पोलिटेकनिक कॉलेज, जमुई। 5. सभी आई0 टी0 आई0 कॉलेज के प्राचार्य।	संवाद कक्ष, जमुई	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई।
5.	07.01.19	03:00 PM से 4:00 PM तक।	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. जिला बैंकिंग उप समाहर्ता, जमुई। 2. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जमुई। 3. जमुई जिला अंतर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक।	संवाद कक्ष, जमुई	बैंकिंग उप समाहर्ता, जमुई।
6.	07.01.19	04:00 PM से 05: PM तक।	रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं मॉल का निरीक्षण। उपस्थिति :- 1. स्टेशन अधीक्षक/उपाधीक्षक, जमुई। 2. स्टेशन अधीक्षक/उपाधीक्षक, झांझा। 3. स्टेशन अधीक्षक/उपाधीक्षक, गिद्धौर। 4. जिला उद्योग पदाधिकारी, जमुई। उपरोक्त तीनों पदाधिकारी संवाद कक्ष से आयुक्त महोदय के साथ उनका भ्रमण कार्यक्रम समाप्त होने तक भ्रमणशील रहेंगे।	---	जिला उद्योग पदाधिकारी, जमुई।
7.	08.01.19	09:00 AM से 11:00 AM तक।	सदर अस्पताल का निरीक्षण।	सदर अस्पताल, जमुई।	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई।
8.	08.01.19	11:00 AM से 02:00 PM तक।	जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि/बोर्ड प्रतिनिधि/सिविल सोसाईटी/ समाजसेवी के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई। 2. नगर परिषद, जमुई अंतर्गत सभी वार्ड। 3. सभी प्रखंडों के प्रमुख। 4. सचिव, रेड क्रॉस सोसाईटी, जमुई। 5. सदर अस्पताल, जमुई के प्रमुख चिकित्सक। 6. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि।	परिसदन, जमुई।	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जमुई। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई संयुक्त रूप से।

9.	08.01.19	02:00 PM से 03:00 PM तक।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला तथा प्रखंड स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक (एडीभोकेसी बैठक) उपस्थिति :- 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई। 2. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा), जमुई जिला। 3. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जमुई जिला। 4. सभी प्राइवेट विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य।	परिसदन, जमुई।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई।
10.	08.01.19	03:00 PM से 04:00 PM तक।	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई एवं प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठक।	परिसदन, जमुई	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई।
11.	08.01.19	03:00 PM से 04:00 PM तक।	जिला आई0 सी0 डी0 एस0 के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी0 डी0 पी0 ओ0 एवं महिला सुपरभाईजर के साथ बैठक।	परिसदन, जमुई।	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई0 सी0 डी0 एस0), जमुई।
12.	08.01.19	04:00 PM से 05:00 PM तक।	स्वयंसेवकों रेड क्रॉस, समावेशी शिक्षकों एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों के साथ बैठक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 भी0 के भोलेनटीयरस के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक।	बुनियाद केन्द्र, जमुई का पुराना भवन। प्रखंड कार्यालय, जमुई के दक्षिण (शुक्रदास भवन में)	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई।
13.	08.01.19	10:00 AM से 07:00 PM तक (अंतिम निष्पादन तक)	दिव्यांजनों के परिवारों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय। (लोक अदालत)	बुनियाद केन्द्र, जमुई का पुराना भवन। प्रखंड कार्यालय, जमुई के दक्षिण (शुक्रदास भवन में)	—

राज्य आयुक्त, निःशक्तता के उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्न प्रकार से निदेश दिये जाते हैं :-

1. जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जमुई दिनांक 06.01.2018 को परिसदन, जमुई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु जिलान्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के प्रतिनिधि को भाग लेने हेतु अनुरोध-पत्र अपने स्तर से निर्गत करेंगे तथा अपनी उपस्थिति में नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. दिनांक 07.01.2018 को 10:00 बजे से 01:00 बजे तक 'सवाद कक्ष, जमुई में आयोजित समीक्षात्मक बैठक हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी उनसे संबंधित प्रतिवेदन (अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक 911/आ0 नि0 को0 दिनांक 17.12.2018 की छाया प्रति संलग्न) के अनुरूप वांछित प्रतिवेदन तैयार कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जमुई को दिनांक 01.01.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ बैठक में भी भाग लेंगे।
3. दिनांक 07.01.2018 को 01:00 बजे से 02:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु पुलिस अधीक्षक, जमुई अपने स्तर नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे तथा सभी पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई एवं झांझा, सभी थानों के थाना प्रभारी को अपने स्तर से बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित करेंगे।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई दिनांक 07.01.2018 को 02:00 बजे से 03:00 बजे तक आयोजित बैठक में नोडल पदाधिकारी के रूप में सूचारु रूप से बैठक सम्पन्न करायेंगे।
5. जिला बैंकिंग उप समाहर्ता, जमुई दिनांक 07.01.2018 को 03:00 बजे से 04:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जमुई के साथ समन्वय स्थापित कर सभी बैंको के शाखा प्रबंधक की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें अलग से पत्र भी निर्गत किया जाय।

6. जिला उद्योग पदाधिकारी, जमुई दिनांक 07.01.2018 को 04:00 बजे से 05:00 बजे तक उनके निरीक्षण के दौरान उनके वाहन के साथ भ्रमणशील रहेंगे। उनसे निदेश प्राप्त कर उनके निरीक्षण में आवश्यक सहयोग देंगे।
7. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई निर्धारित तिथि को ससमय सदर अस्पताल, जमुई के निरीक्षण हेतु आवश्यक तैयारी पूर्व से पूर्ण कर लेंगे। साथ ही निरीक्षण में अपने स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
8. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जमुई दिनांक 08.01.19 को 11:00 बजे से 02:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी प्रखंड प्रमुख को सूचना उपलब्ध करायेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई अपने स्तर से सभी वार्ड पार्षद, जमुई जिला को बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध-पत्र निर्गत करेंगे।
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई दिनांक 08.01.2018 को 02:00 बजे से 03:00 बजे तक आयोजित बैठक को नोडल पदाधिकारी के रूप में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई दिनांक 08.01.19 को 03:00 बजे से 04:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमुई जिला को भाग लेने हेतु निदेश देंगे। साथ ही नोडल पदाधिकारी के रूप में बैठक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई दिनांक 08.01.19 को 04:00 बजे से 05:00 बजे तक आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी ऑगनवाडी पर्यवेक्षिका को अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित करेंगे।
12. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र स्वयं अपने सभी कर्मियों के साथ दिनांक 08.01.19 को 04:00 निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
13. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई से अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 भी0 के भोलेनटीयरस को आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु निदेश देंगे।

उपरोक्त के अलावे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं :-

1. नजारत उप समाहर्ता, जमुई :- भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में जिला अतिथि गृह, जमुई में उनके आवासन एवं भोजनादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

2. स्थापना उप समाहर्ता, जमुई :-

(क) राज्य आयुक्त निःशक्तता दिनांक 06.01.2019 से 09.01.2019 तक जिला अतिथि गृह, जमुई में रहेंगे। अतः 24 घंटे उनके साथ एक कार्यालय परिचारी की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः स्थापना उप समाहर्ता के द्वारा तीन सिफ्टों में कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति 06.01.2018 से 09.01.2018 तक के लिए की जायेगी।

(ख) इसके अलावे जिला अतिथि गृह, जमुई में दिनांक 06.01.19 से 09.01.19 तक एक लिपिक, एक कार्यपालक सहायक एवं एक कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति कार्यालय अवधि में की जायेगी, जिनके द्वारा राज्य आयुक्त निःशक्तता के निदेशानुसार प्रतिवेदन आदि का संग्रहण किया जायेगा।

(ग) दिनांक 09.01.2018 को चलंत न्यायालय में एक वरीय लिपिक, कम्प्यूटर एवं प्रिंटर सहित कुल 06 कार्यपालक सहायक (डिक्टेसन प्राप्त करने एवं आदेश निर्गत करने हेतु) एवं तीन कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। जिनके द्वारा चलंत न्यायालय का कार्य में सहयोग किया जायेगा।

राज्य आयुक्त निःशक्तता के लाईजेनिंग पदाधिकारी के रूप में मो0 शाह खलिक अंजुम, जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, जमुई को राज्य आयुक्त, बिहार के जमुई जिला आगमन से उनके प्रस्थान करने तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

अनुलग्नक : - अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 911/आ0 नि0 को0 दिनांक 07.12.2018 की छाया प्रति संलग्न।

3. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, जमुई को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि चलन्त न्यायालय में विधि-व्यवस्था हेतु संयुक्त आदेश निर्गत करने की व्यवस्था की जाय।

नोट :- जमुई जिलान्तर्गत सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रधान चलन्त न्यायालय की तिथि को ससमय चलन्त न्यायालय में उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त होने वाले शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा कोषांग

जिला पदाधिकारी,
जमुई

ज्ञापांक - 334

/सा0 सु0 दिनांक - 28/12/18

1. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमुई जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जमुई जिला अन्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के पत्रकारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई/श्रम अधीक्षक, जमुई/जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जमुई/जिला नियोजन पदाधिकारी, जमुई/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जमुई/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, जमुई/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमुई/जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई/जिला अभियंता, जिला परिषद, जमुई/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जमुई/जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई/जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, जमुई/जिला खेल कूद पदाधिकारी, जमुई/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई/जिला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जमुई/निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई/कारा अधीक्षक, जमुई/उप निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई/भूमि सुधार उप समाहर्ता, जमुई/प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, जमुई/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जमुई, जिला प्रबंधक, जिविका, जमुई/जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, जमुई को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 911/आ0 नि0 को0 दिनांक 07.12.2018 की छाया प्रति संलग्न का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
5. नजारत उप समाहर्ता, जमुई एवं स्थापना उप समाहर्ता, जमुई को निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जमुई से समन्वय करेंगे।
6. अपर समाहर्ता, जमुई/उप विकास आयुक्त, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. पुलिस अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ अनुरोध है कि उक्त तिथि को राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के लिए स्कॉट, अंगरक्षक एवं होम सुरक्षा के साथ-साथ दिनांक 09.01.2019 को चलन्त न्यायालय के स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुरुष एवं महिला बल की व्यवस्था करने की कृपा की जाय।
8. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 भी0 के भोलेनटीयरस के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक के लिए समुचित कार्रवाई अपने स्तर से करने की कृपा की जाय।
9. सचिव, रेड क्रॉस सोसाईटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
12. निदेशक, दिव्यांगता सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
13. राज्य आयुक्त, निःशक्तता को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा कोषांग
जमुई

जिला पदाधिकारी
जमुई